अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 43/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

मोहम्मद रफीक पुत्र स्व॰ अब्दुल सलाम, निवासी बी–28, न्यू इन्द्रा विहार कॉलानी, नाई की थडी, रामगढ रोड, थाना जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. हफीज उर्फ नफीस पुत्र मोहम्मद रफीक
2. आबिद पुत्र मोहम्मद रफीक
3. जाकिर उर्फ पारी पुत्र मोहम्द रफीक
4. आदिल पुत्र मोहम्मद रफीक

   जाति मुसलमान, निवासी बी–28, न्यू इन्द्रा विहार कॉलोनी, नाई की थडी, रामगढ रोड, थाना जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।
5. अनीस पुत्र मोहम्मद रफीक, जाति मुसलमान, निवासी मकान नम्बर 36 लोधीज गार्डन, एम. के. विहार कॉलोनी, नाई की थडी, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 22.08.2024 उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर प्रकरण संख्या 50/2023 ब उनवानी मोहम्मद रफीक बनाम मोहम्मद हफीज व अन्य।

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित।
2. प्रत्यर्थीगण संख्या 2 व 5 मय प्रतिनिधि उपस्थित।

निर्णय दिनांक 12.02.2026

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 50/2023 ब उनवानी मोहम्मद रफीक बनाम मोहम्मद हफीज व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 5 स्वयं मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 3 ने रजिस्टर्ड नोटिस लेने से मना की रिपोर्ट से प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–4 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का अधीनस्थ

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी द्वारा मकान नम्बर बी–28, न्यू इन्द्रा विहार कॉलोनी, नाई की थडी, रामगढ़ रोड, थाना जयसिंहपुरा खोर जयपुर ने रमेशचन्द मीना से क्रय की थी। आवंटन पत्र शान्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर द्वारा भी अपीलार्थी आवंटन पत्र जारी कर दिया गया था। उक्त सम्पत्ति मैंने स्वयं की अर्जित आय से क्रय की थी, प्रार्थी उक्त सम्पत्ति का एकमात्र मालिक, स्वामी, काबिज चला आ रहा है। उक्त सम्पत्ति में किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई अंश निहित नही है। यह कि प्रत्यर्थीगण हफीज, आबिद, आदिल, जाकिर अपीलार्थी को आये दिन तंग परेशान एवं मारपीट, गाली–गलौच करते है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को खाना–पीना नही दिया जाता है। अपीलार्थी की पत्नी इमानन उर्फ नूरजहाँ भी अप्रार्थीगण के बहकावें में है। कुछ समय पूर्व अपीलार्थी के पुत्र हफीज उर्फ नफीस, आबिद, आदिल व जाकिर उर्फ पारी ने मुझे टॉयलेट जाते समय मेरा रास्ता रोक लिया और मेरे साथ मारपीट की, मुझे लहुलूहान कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 हफीज उर्फ नफीस आये दिन नई–नई औरतो को शादी करके घर में लेकर आता है तथा कुछ दिन रखकर उन्हें तलाक दे देता है। अपीलार्थी के समझाने पर अपीलार्थी के साथ लडाई–झगडा करने लगा तथा जान से मारने की धमकियां देने लगा। अपीलार्थी डर के साये में जीवन व्यतीत कर रहा है एवं अपीलार्थी को जान–माल का भय बना रहता था। अपीलार्थी के मकान के कागजात व रूपये, पैसे उसके कमरे में लौहे के बक्से में रखे हुऐ थे, उन्हें भी प्रत्यर्थीगण ने चुराकर अपने कब्जे में ले लिये है, अपीलार्थी के द्वारा समझाने पर व मांगने पर भी कागजात व रुपये पैसे नही लौटा रहे है तथा अपीलार्थी को मारपीट कर घर से निकाल दिया है। अपीलार्थी वर्तमान में बेरोजगार है एवं आय कोई साधन नही है। प्रार्थी अपने पुत्रो पर आश्रित है तथा भरण पोषण का कोई सहारा नही है। अपीलार्थी प्रत्यर्थीगण पर ही आश्रित है। प्रत्यर्थी संख्या 1 हफीज उर्फ नफीस ड्राईविंग का कार्य करता है जिससे लगभग 20 हजार रुपये मासिक आय अर्जित कर रहा है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 आबिद प्राईवेट जॉब करता है जिससे लगभग 18 हजार रुपये मासिक आय अर्जित कर रहा है तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 आदिल प्राईवेट जॉब करता है जिससे लगभग 15 हजार रुपये मासिक आय अर्जित कर रहा है तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 जाकिर उर्फ पारी आतिशबाजी एवं कबाड का कार्य करता है जिससे लगभग 20 हजार रुपये मासिक आय प्राप्त कर रहा है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के साथ मारपीट कर अपीलार्थी को अपनी ही सम्पत्ति से घर से बाहर निकाल दिया है, उक्त सम्पत्ति अपीलार्थी के स्वयं की स्व अर्जित आय से क्रय की गई है, किसी अन्य व्यक्ति का इसमें कोई आय का अंश सम्मिलित नही हैं। अपीलार्थी उक्त सम्पत्ति बी–28, न्यू इन्द्रा विहार कॉलोनी, नाई की थडी, रामगढ़ रोड, जयसिंहपुरा खोर जयपुर का एक मात्र मालिक स्वामी है। उक्त सम्पत्ति के उपयोग–उपभोग में प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी को बाधा कारित कर हैरान परेशान कर रहे है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2024 ज्यूडिशियल माईण्ड का उपयोग किये बिना पारित किया गया है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष स्वयं के नाम से सोसायटी का आंवटन पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दस्तावेज का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी की उक्त सम्पत्ति को अपने नाम कर हडप करना चाहते है। प्रत्यर्थीगण नाजायज रूप से प्रार्थी पर दबाव बना रहे है कि उक्त सम्पत्ति का हस्तान्तरण प्रत्यर्थिगण के हक में कर दे परन्तु प्रार्थी को संदेह है कि अपीलार्थी के साथ प्रत्यर्थिगण क्रूरता का व्यवहार एंव दुर्व्यवहार लगातार जारी रखेंगे तथा प्रार्थी को भूखा प्यासा मरने को छोड दिया है। अपीलार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर बी–28, न्यू इन्द्रा विहार कॉलोनी, नाई की थडी, रामगढ़ रोड, थाना जयसिंहपुरा खोर जयपुर का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करवाया जाना आवश्यक है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2024 को अपास्त किया जाकर मकान नम्बर बी–28, न्यू इन्द्रा विहार कॉलोनी, नाई की थडी, रामगढ़ रोड, थाना जयसिंहपुरा खोर जयपुर से रेस्पोंडेन्ट 1 से 5 को

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बेदखल कर उक्त सम्पत्ति का कब्जा अपीलार्थी को संभलाया जावें तथा भरण–पोषण हेतु प्रत्येक प्रत्यर्थीगण से 6000/–रुपये प्रतिमाह अपीलार्थी को दिलाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें ।

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रतिनिधि ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित पते पर निवास नहीं करता है बल्कि अपने बेटे प्रत्यर्थी संख्या 5 अनीस के मकान नम्बर 36, एम. के. विहार कॉलोनी, लोधी गार्डन के पास, नाई की थडी पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर में निवास कर रहे है। उक्त विवादित सम्पत्ति प्रत्यर्थीगण की माता श्रीमति इमामन उर्फ नूरजहॉ की सम्पत्ति है तथा श्रीमती इमामन ने उक्त सम्पत्ति अपनी स्वयं की कमाई व अपने चारो पुत्र हफीज, आबिद, जाकिर, आदिल की कमाई से क्रय की थी। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के साथ कभी भी गाली गलौच व मारपीट नहीं की है। अपीलार्थी मोटर गाड़ियों की गद्दी बनाने का कार्य करता है और अपने बेटे अनीस के साथ उसके घर पर निवास करता है। प्रार्थी व उसका पुत्र अनीस आये दिन दारू पीकर प्रत्यर्थीगण की माता के साथ लडाई झगडा गाली गलोच करते है। प्रत्यर्थीगण ने कभी भी अपीलार्थी के साथ कोई क्रुरता दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। अपीलार्थी अपने बेटे अनीस के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। प्रत्यर्थीगण को अपनी माताजी से जानकारी हुई कि अपीलार्थी ने झूंठे व फर्जी दस्तावेज की कॉपी तैयार कर प्रत्यर्थीगण की माता के मकान पर कब्जा करने पर आमादा है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 के प्रावधान की आड़ में प्रत्यर्थीगण को उक्त विवादित सम्पति से बेदखल किये जाने बाबत अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 5 को अपीलार्थी के सेवा–सुश्रुषा व भरण पोषण करने, उक्त अचल सम्पति में शांतिपुर्वक, गरिमापूर्ण व सम्मानपूर्वक रहवास करने हेतु एक कमरा प्रदान करने तथा प्रत्येक प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी को 500/–रूपये प्रतिमाह (कुल 2500/–रूपये) अपीलान्ट के बैंक खाते में अदा करने के आदेश पारित किये गये है। दौराने बहस अपीलार्थी की पत्नी ने उपस्थित होकर अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ अधिकरण व अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है ना ही उन्हे अपीलार्थी के रूप में पक्षकार शामिल किया गया है। अपीलान्ट व प्रत्यर्थीगण का आपस में उक्त सम्पति का विवाद है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अधिनियम में अपनी सुविधानुसार आधार बनाकर प्रत्यर्थीगण को विवादित सम्पति से बेदखल करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार से त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner